

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम - सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद पत्र सं0 : 467 सन 2017

अनवान :-

1. मोहित पुत्र जयसिंह जरिये बली पिता जयसिंह जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र रामनिवास जाति ब्रह्मण निवास मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. श्यामसुन्दर पुत्र परसराम जाति महाजन साकिन अरडकी बस स्टेण्ड के पास दुकान नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
3. ओमप्रकाश पुत्र परसराम जाति महाजन साकिन बार्ड न0 3 ब्रह्मण धर्मशाला के पास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ ।
4. राजकुमार पुत्र परसराम जाति महाजन साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
5. श्रीकृष्ण पुत्र परसराम जाति महाजन साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
6. श्रामदुलारी पुत्री परसराम पत्नी कुन्दनलाल गुप्ता जाति महाजन साकिन तहसील परीसर बसना तहसील बसना जिला रायपुर (छतीसगढ)
7. तरदेवी पुत्री परसराम पत्नी सन्तलाल दुदानी जाति महाजन साकिन मैन बाजार साहवा तहसील तारानगर जिला चुरु ।
8. विधादेवी पुत्री परसराम पत्नि नत्थमल जाति महाजन साकिन बूटो की दुकान ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
9. कमला पुत्री परसराम पत्नी रविप्रकाश गुप्ता जाति महाजन साकिन बस स्टेण्ड भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ ।
10. मायादेवी पुत्री परसराम पत्नी राजकुमार जाति महाजन साकिन अनाज मण्डी दुकान न0 20 ए ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
11. शारदा पत्नी महावीर प्रसाद जाति महाजन साकिन एडीसनल मण्डी दुकान न0 13 ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
12. ऋषी कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति महाजन साकिन एडीसनल मण्डी दुकान न0 13 ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
13. नरेन्द्र पुत्र महावीर प्रसाद जाति महाजन साकिन एडीसनल मण्डी दुकान न0 13 ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
14. श्यामलाल पुत्र महावीर प्रसाद जाति महाजन साकिन एडीसनल मण्डी दुकान न0 13 ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
15. श्रामवतार पुत्र महावीर प्रसाद जाति महाजन साकिन एडीसनल मण्डी दुकान न0 13 ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
16. सुरेश पुत्र महावीर प्रसाद जाति महाजन साकिन एडीसनल मण्डी दुकान न0 13 ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
17. मनोज पुत्री महावीर प्रसाद जाति महाजन साकिन एडीसनल मण्डी दुकान न0 13 ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
18. पुष्पा पुत्री महावीर प्रसाद जाति महाजन साकिन एडीसनल मण्डी दुकान न0 13 ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
19. लिच्छमा पुत्री महावीर प्रसाद जाति महाजन साकिन एडीसनल मण्डी दुकान न0 13 ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
20. बिमला पुत्री महावीर प्रसाद जाति महाजन साकिन एडीसनल मण्डी दुकान न0 13 ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
1 - नोहर

21. कान्ता पुत्री महावीर प्रसाद जाति महाजन साकिन एडीसनल मण्डी दुकान न0 13
ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
22. रेखा पुत्री महावीर प्रसाद जाति महाजन साकिन एडीसनल मण्डी दुकान न0 13
ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदा राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।
- 24 सन्दीप कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति महाजन साकिन रावतसर तहसील रावतसर
जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक खाता तकसीम एवं स्थाई
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188,53
आर0टी0एक्ट0 बाबत राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 :-

उपस्थित :- श्री हवासिह पूनिया अभिभाषक, वादी
श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता प्रतिवादी 1
निर्णय दिनांक :- 09/12/2019

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88
53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही
मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 133 की 25.13 बीधा , खसरा न0 153 की 1.02 बीधा ,
खसरा न0 155 की 11.00 बीधा ,208 की 4.10 बीधा ,275 की 17.06 बीधा , 559 की 1.
08बीधा , 154 की 7.00 बीधा , कुल 67.19 बीधा भूमि में वादी का 52 हिस्सा , प्रतिवादी
संख्या 1 का 346 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 बहिब 961 हिस्सा एवं प्रतिवादी
संख्या 11 ता 22 बहिब 1/10 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार है।

वादी व प्रतिवादीगण उक्त सयुक्त खाता की भूमि को मुताबिक बाहमी बटवारा के
काश्त करते आ रहे है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है।

परसराम का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 एवं
महावीरप्रसाद है महावीर प्रसाद फोट हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 11 ता 22
है।

विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से वादी व प्रतिवादीगण के मध्य
सीव लगान का झगडा रहता है इसलिये अपने बाहमी बटवारा के अनुसार खाता व लगान
राजस्व रिकार्ड में अलग अलग कायम करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की वाद भूमि का बाहमी बटवारा के
अनुसार खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज
कल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है वादी का वाद
डिक्री किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में
दर्ज है के अनुसार खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षों को पूर्ण सुनवाई
का अवसर दिया जाकर वादी का वाद दिनांक 27.03.2018 वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया
जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है की रोही मौजा
मन्दरपुरा के खसरा न0 133 की 25.13 बीधा , खसरा न0 153 की 1.02 बीधा , खसरा न0
155 की 11.00 बीधा ,208 की 4.10 बीधा ,275 की 17.06 बीधा , 559 की 1.08बीधा ,
154/1139 की 7.00 बीधा , कुल 67.19 बीधा भूमि में वादी का 52 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या
1 का 346 हिस्सा फरसाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 22 जिनके नाम से 961
हिस्सा भूमि दर्ज है को सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.10.2017 के अनुसार प्रतिवादी
संख्या 2 ता 22 एवं सन्दीप पुत्र ओमप्रकाश , सावरमल एवं बालसिह पि0 राजकुमार के मध्य

निर्धारण किया जाकर उनके हक हिस्सा के अनुसार अच्छी में से अच्छी माड़ी में से माड़ी राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 पालना करते हुए तजबीज तकसीम की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये गये।


न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.03.2019 के अनुपालना में तहसीलदार राजस्व नोहर ने अपने पत्रांक 282 दिनांक 18.01.2019 को न्यायालय के निर्देशानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव का गहनता से अवलोकन किया जाकर तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज करवाने हेतु सहमति जाहिर की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वादी व प्रतिवादी संयुक्त खातेदार काश्तकार है कोई भी संयुक्त खातेदार अपने हक हिस्सा एवं किस्म भूमि के अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान दर्ज करवा पाने के अधिकारी है जिसके लिये वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार राजस्व नोहर के किस्म भूमि व हक हिस्सा के अनुसार राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव चाहे गये थे तहसीलदार राजस्व नोहर ने अपने पत्रांक 282 दिनांक 18.01.2019 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किये गये प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर वादी एवं प्रतिवादीगण के द्वारा सहमति जाहिर के तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज करवाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षों को सुना उभयपक्ष तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर सहमत होने के कारण वाद वादी तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि परसाराम पुत्र श्योनाथ जाति महाजन 961 हिस्सा राधेश्याम पुत्र रामनिवास जाति ब्रह्मण निवासी 346 हिस्सा साकिन देह खातेदार रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 133/1 की 5.8302हैक , 153 की 0.278हैक , 154/1139 की 1.770हैक , 155 की 2.782हैक , 208 की 1.1380हैक , 275 की 4.3760हैक , 559 की 0.3540हैक कुल 16.5282हैक बारानी प्रथम भूमि रहेगी एवं मोहित पुत्र जयसिंह जरिये बली पिता जयसिंह जाति जाट साकिन निवासी गोरखाना खातेदार रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 133/2 की 0.6578हैक कुल 0.6578हैक बारानी प्रथम भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किये जाने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 200/- रुपये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/12/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अन्तिम पर्चा-डिक्री

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर०ए०एस०)

वाद पत्र सं० : 467 सन 2017

अनवान :-

1. मोहित पुत्र जयसिंह जरिये बली पिता जयसिंह जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

- 1 राधेश्याम पुत्र रामनिवास जाति ब्रह्मण निवास मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
- 2 श्यामसुन्दर पुत्र परसराम जाति महाजन साकिन अरडकी बस स्टेण्ड के पास दुकान नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
- 3 ओमप्रकाश पुत्र परसराम जाति महाजन साकिन वार्ड न० 3 ब्रह्मण धर्मशाला के पास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ ।
- 4 राजकुमार पुत्र परसराम जाति महाजन साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
- 5 श्रीकृष्ण पुत्र परसराम जाति महाजन साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
- 6 रामदुलारी पुत्री परसराम पत्नी कुन्दनलाल गुप्ता जाति महाजन साकिन तहसील परीसर बसना तहसील बसना जिला रायपुर (छतीसगढ)
- 7 तरदेवी पुत्री परसराम पत्नी सन्तलाल दुदानी जाति महाजन साकिन मैन बाजार साहवा तहसील तारानगर जिला चुरू ।
- 8 विधादेवी पुत्री परसराम पत्नि नत्थमल जाति महाजन साकिन बूटो की दुकान ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
- 9 कमला पुत्री परसराम पत्नी रविप्रकाश गुप्ता जाति महाजन साकिन बस स्टेण्ड भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ ।
- 10 मायादेवी पुत्री परसराम पत्नी राजकुमार जाति महाजन साकिन अनाज मण्डी दुकान न० 20 ए ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
- 11 शारदा पत्नी महावीर प्रसाद जाति महाजन साकिन एडीसनल मण्डी दुकान न० 13 ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
- 12 ऋषी कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति महाजन साकिन एडीसनल मण्डी दुकान न० 13 ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
- 13 नरेन्द्र पुत्र महावीर प्रसाद जाति महाजन साकिन एडीसनल मण्डी दुकान न० 13 ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
- 14 श्यामलाल पुत्र महावीर प्रसाद जाति महाजन साकिन एडीसनल मण्डी दुकान न० 13 ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
- 15 रामवतार पुत्र महावीर प्रसाद जाति महाजन साकिन एडीसनल मण्डी दुकान न० 13 ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
- 16 सुरेश पुत्र महावीर प्रसाद जाति महाजन साकिन एडीसनल मण्डी दुकान न० 13 ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
- 17 मनोज पुत्री महावीर प्रसाद जाति महाजन साकिन एडीसनल मण्डी दुकान न० 13 ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
- 18 पुष्पा पुत्री महावीर प्रसाद जाति महाजन साकिन एडीसनल मण्डी दुकान न० 13 ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
- 19 लिछमा पुत्री महावीर प्रसाद जाति महाजन साकिन एडीसनल मण्डी दुकान न० 13 ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर


- 20 बिमला पुत्री महावीर प्रसाद जाति महाजन साकिन एडीसनल मण्डी दुकान न0 13
ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
- 21 कान्ता पुत्री महावीर प्रसाद जाति महाजन साकिन एडीसनल मण्डी दुकान न0 13
ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
- 22 रेखा पुत्री महावीर प्रसाद जाति महाजन साकिन एडीसनल मण्डी दुकान न0 13
ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।
- 23 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदा राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।
- 24 सन्दीप कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति महाजन साकिन रावतसर तहसील रावतसर
जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संख्या 467 सन 2017 निर्णय दिनांक 09/12/19
वाद अन्तर्गत धारा 88 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर आर0ए0एस0 उपखण्डाधिकारी, नोहर के समक्ष अभिभाषक वादी श्री हवासिंह पुनिया व अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 श्री विजय सिंह कडवासरा व अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 24 श्री कुलदीप खूडिया व परोकार राज की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव पर सहमत होने के कारण वाद वादी तहसीलदार राजस्व नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि परसाराम पुत्र श्योनाथ जाति महाजन 961 हिस्सा राधेश्याम पुत्र रामनिवास जाति ब्रह्मण निवासी 346 हिस्सा साकिन देह खातेदार रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 133/1 की 5.8302हैक , 153 की 0.278हैक , 154/1139 की 1.770हैक , 155 की 2.782हैक , 208 की 1.1380हैक , 275 की 4.3760हैक , 559 की 0.3540हैक कुल 16.5282हैक बारानी प्रथम भूमि रहेगी एवं मोहित पुत्र जयसिंह जरिये बली पिता जयसिंह जाति जाट साकिन निवासी गोरखाना खातेदार रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 133/2 की 0.6578हैक कुल 0.678हैक बारानी प्रथम भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किये जाने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 200/- रुपये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

आज दिनांक 09/12/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से पर्चा-डिक्री जारी की गई।


उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)